

कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग

राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग क्रमांक 01,पेंशन बाड़ा रायपुर (छ.ग.)

फोन नं.07771-4051036 ई.मेल.eenhdn_1@rediffmail.com

चेक लिस्ट क. 27

ऐतिहासिक स्थल प्रमाण पत्र

जिलाध्यक्ष, जिला- बालोद द्वारा जारी ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र संलग्न है।


(बी. श्रीनिवास राव)

कार्यपालन अभियन्ता लोक निर्माण विभाग
राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.1 रायपुर (छ.ग.)


(एस. पी. पैकरा)
वन संरक्षक
प्रभारी वन मंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल,बालोद

।। कार्यालय कलेक्टर बालोद, जिला - बालोद छ.ग.।।

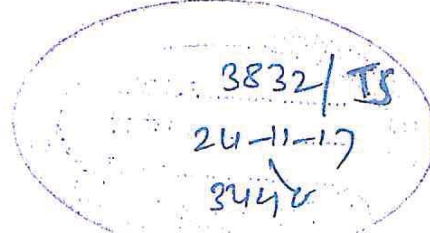
ज्ञापन

क्रमांक / 421 / प्र.कले. / 2017

बालोद दिनांक 22.11.2017

प्रति,

✓ कार्यपालन अभियंता,
राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग क-1
लोक निर्माण विभाग, रायपुर छ.ग.



विषय:- राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 930 का पुरुर-झलमला-बालोद-कुसुमकसा - मानपुर -
कोहका मार्ग जिला बालोद 2/4-लेन मय पेव्ड शोल्डर चौड़ीकरण एवं उन्नयन
कार्य के अंतर्गत वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव हेतु ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र
बाबत।

संदर्भ :- कार्यालय अभियंता लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग क्रमांक-1 रायपुर का ज्ञाप
क्र. 2187/शिल्प/रा.रा.क्र. 930 रायपुर दिनांक 06.07.2017

-00-

राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 930 का पुरुर-झलमला-बालोद-कुसुमकसा-मानपुर-
कोहका मार्ग जिला बालोद 2/4-लेन मय पेव्ड शोल्डर चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु
वांछित ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (चेक लिस्ट क्रमांक-27) संलग्न कर आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


कलेक्टर,
बालोद छ.ग.

P/S
24/11
EE
R

कार्यालय कलेक्टर बालोद, जिला बालोद छ०ग०

वन संरक्षण अधिनियम 1980
वन भूमि प्रत्यावर्तन के अन्तर्गत बिन्दु क्रमांक-27 ऐतिहासिक स्थल
का प्रमाण पत्र

-00-

प्रमाणित किया जाता है कि बालोद जिला सीमा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 जो कि जिला बालोद के ग्राम पुरुर -झलमला-बालोद -कुसुमकसा -मानपुर-कोहका की सीमा से होकर गुजरती है। " प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 " में उल्लेखित प्रावधानों के तहत अनुविभागीय अधिकारी (रा) बालोद/डौण्डीलोहारा के द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के अनुसार उपरोक्त ग्रामों में राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य से 300-300 मीटर दोनों तरफ कोई भी ऐतिहासिक/पुरातत्व महत्व का स्थल स्थित नहीं हैं।


कलेक्टर,
बालोद छ.ग.